

प्रमाण पत्रावली पेश हुई। समय की उपस्थित
पीठासीन अधिकारी ~~...~~ में होने
से फरवरी पूर्व आदेश की पाठ में आयन्दा
दिनांक ~~...~~ को पेश हो ~~...~~

17/12 फरवरी पेश उक्त पत्र 3701
अर्थीगण ने अर्थीगण का अन्तर्गत धारा
136 राजस्थान राजस्व अधिनियम के तहत
उत्पन्न कर मोजा आबल परिवार मंडल काबल
के खसरा नंबर 1605/905, 3613, 687, 688,
904 कुल किता - 5 कुल रकबा 1.8461 हेक्टेयर
एवं खसरा नंबर 908 रकबा 0.0632 हेक्टेयर
का जमीन के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में
अर्थीगण के पिता एवं पति का नाम जो कि
"मंगा" दर्ज चला आ रहा है उस एकमात्र
त्रुटि को सुधारकर मंगा के स्थान पर अर्थीगण
के पिता व पति का नाम "भाणाराम" दर्ज
कर उनके हिस्से की जमीन में रिकॉर्ड दुरुस्त
करवाने हेतु कथन किया है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर अर्थीगण
को नोटिस जारी किया जो बाद लामिल पेश।
अर्थीगण ने अर्जक उत्पन्न कर कथन किया
कि संवत् 2034 से 2037 में खाला से
134 में पूरा बल्लू रावला की हस्त्य हो जाने
से नामान्तरकरण संख्या 119 के द्वारा रावला
गमला, दिसिया, सोमिया, कला, भाणा पिसरान
पूरा के नाम उत्तराधिकारी नामान्तरकरण वापर
किया गया। जमाबंदी में नोट लगाने समय भाणा
के स्थान पर मंगा कर दिया है। जिससे

की जमाबंदी में त्रुटिकर नाम मंगा चला
आ रहा है। जिसे तहसील परिषद में ~~...~~
हमने वहम सुनी/ फरवरी
पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।



वेहस पर मनन एवं पक्कावकी पर
 उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थनागण
 के पिता व पति का नाम जमाबंदी में
 जोर लगाते समय भागा के स्थान
 पर भागा सुरिक्षा होना पालागम

आतः प्रार्थनागण का प्रार्थनापत्र

U/S 136 LR Act स्वीकार कर

मौजा काबल पश्चात् मंडल काबल के
 खसरा नंबर 1605/905, 36/3, 687,

688, 904 कुल क्षेत्र 5 कुल रकबा

1-846 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर

908 रकबा 0.0632 हेक्टेयर क्षेत्र

भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में
 प्रार्थनागण के पिता व पति का नाम "भागा"

दर्ज चला आ रहा है को सुधारकर

भागा के स्थान पर "भागा राम" राजस्व

रिकॉर्ड में सुदस्त कर दर्ज करने के


आदेश दिए जाते हैं लहसीमदार

काबूरोड उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड

को सुदस्त कर

पक्कावकी के लिये सुधार टिकट

नंबर से कमा हो


 महाशयक न्यायालय
 आद-कान